प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 21 फरवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30299/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-24.09.2022) दिनांक-24.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली, नगला जोध, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी वादी केसराम का सगा भाई है जो कई साल से वादी की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखता था। वादी द्वारा दिनांक 12.09.2001 को पत्नी से गुस्से में कहा कि वह दोनों के साथ नहीं रह सकती है। इसी बात से नाराज होकर बंदी ने वादी के पुत्र गोविन्द को पकड़कर छत पर ले जाकर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-325/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.03.2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2022 तक 20 वर्ष 09 माह की अपरिहार तथा 26 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा अपराध की गंभीरता व अन्य आवश्यक बिन्दुओं के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि उक्त बन्दी को 06 बार जेल दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमे दिनांक 11.12.2009 को टीवी देखने को लेकर अन्य बन्दी के साथ झगड़ा व गाली-गलौज करने, दिनांक 08.06.2010 को बन्दी अरविन्द कुमार के साथ ताश खेलने को लेकर झगड़ा व मारपीट करने, दिनांक 24.10.2014 को बन्दी लाल सहाय व नेपाल से मिलकर पाकशाल में कार्यरत बंदी कल्लू से मारपीट करने, दिनांक 19.06.2018 को जुआ खेलने नम्बरदारों एवं उपस्थित बंदीरक्षकों द्वारा मना करने पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार एवं अनुशासनहीनता करने, दिनांक 25.07.2018 को बैरक के पीछे कई बंदियों के साथ बैठकर जूआ खेलने व तलाशी का विरोध कर अभद्रता से पेश आने, दिनांक 09.08.2018 को झूठी अफवाह फैलाकर बंदियों को जेल प्रशासन के विरुद्ध भड़काने, संगठित बंदियों के साथ बंदी ने चक्र से बाहर निकलने का प्रयास किया रोके जाने पर ईंटों से प्रहार करने एवं पूर्व में भी जेल में अपराध कारित करने के कारण किया गया। बन्दी अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखता था। दिनांक 12.09.2001 को वादी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पत्नी से गुस्से में दोनों के साथ रहने का विरोध करने पर बन्दी ने नाराज होकर वादी के पुत्र गोविन्द को पकड़कर छत पर ले जाकर तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, 06 बार जेल से दण्डित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश उर्फ टोकालाल (बन्दी संख्या-17100) पुत्र श्री चेतराम तेली, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-43/2023/2842(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-29723/2018 सतीश चन्द्र उर्फ टोकालाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.09.2021 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-43/2023/2842/22-2-2022-21(49)/2021
दिनांक 21 फरवरी, 2023 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली, नगला जोध, थाना-कमालगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी वादी केसराम का सगा भाई है जो कई साल से वादी की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखता था। वादी द्वारा दिनांक 12.09.2001 को पत्नी से गुस्से में कहा कि वह दोनों के साथ नहीं रह सकती है। इसी बात से नाराज होकर बंदी ने वादी के पुत्र गोविन्द को पकड़कर छत पर ले जाकर तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-325/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 स्पेशल जज, ई0सी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 12.12.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.03.2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 14.06.2022 तक 20 वर्ष 09 माह की अपरिहार तथा 26 वर्ष 11 माह 02 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2022 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी द्वारा अपराध की गंभीरता व अन्य आवश्यक बिन्दुओं के दृष्टिगत समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि उक्त बन्दी को 06 बार जेल दण्ड से दण्डित किया गया है, जिसमे दिनांक 11.12.2009 को टीवी देखने को लेकर अन्य बन्दी के साथ झगड़ा व गाली-गलौज करने, दिनांक 08.06.2010 को बन्दी अरविन्द कुमार के साथ ताश खेलने को लेकर झगड़ा व मारपीट करने, दिनांक 24.10.2014 को बन्दी लाल सहाय व नेपाल से मिलकर पाकशाल में कार्यरत बंदी कल्लू से मारपीट करने, दिनांक 19.06.2018 को जुआ खेलने नम्बरदारों एवं उपस्थित बंदीरक्षकों द्वारा मना करने पर अभद्रतापूर्ण व्यवहार एवं अनुशासनहीनता करने, दिनांक 25.07.2018 को बैरक के पीछे कई बंदियों के साथ बैठकर जूआ खेलने व तलाशी का विरोध कर अभद्रता से पेश आने, दिनांक 09.08.2018 को झूठी अफवाह फैलाकर बंदियों को जेल प्रशासन के विरुद्ध भड़काने, संगठित बंदियों के साथ बंदी ने चक्र से बाहर निकलने का प्रयास किया रोके जाने पर ईंटों से प्रहार करने एवं पूर्व में भी जेल में अपराध कारित करने के कारण किया गया। बन्दी अपने भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखता था। दिनांक 12.09.2001 को वादी द्वारा पत्नी से गुस्से में दोनों के साथ रहने का विरोध करने पर बन्दी ने नाराज होकर वादी के पुत्र गोविन्द को पकड़कर छत पर ले जाकर तमंचे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के पुनः अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, 06 बार जेल से दण्डित किये जाने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतीश उर्फ टोकालाल पुत्र श्री चेतराम तेली को फार्म/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in